प्रारूप - 2

# आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छात्रवृत्ति मुख्यतः इसी प्रमाण–पत्र के आधार पर दी जाती है। अतः प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुये यह प्रमाण–पत्र दें ।

पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि –

01. श्री / श्रीमती / कुमारी .....
पुत्र / पुत्री / पत्नी .....
स्थाई निवास .....

02. श्री / श्रीमती / कुमारी .....
जाति ..... की है, और उसकी उपजाति ..... उसका धर्म ..... है।

03. छात्र / छात्रा के माता–पिता / अभिभावक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले विगत वर्ष की समस्त स्त्रोतों से (छात्र द्वारा आय, अगर हो तो सम्मिलित करते हुये) वार्षिक आय रूपये ..... शब्दों में .....
... रूपये थी । माता / पिता / पति जीवित न होने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।

प्रमाण–पत्र देने वाले के हस्ताक्षर
पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में .....
पद नाम .....
पता .....
मुहर .....

नोट :– ऐसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिस पर प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी की मुहर न लगी हो। आय तथा जाति प्रमाण पत्र छात्र द्वारा प्रवेश फार्म जमा करने के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। बाद में जमा किए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगें। ऐसे छात्रों को पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

आय संबंधी प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये निम्नांकित अधिकृत होंगे ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | शासकीय / अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आय के संबंध में | – | नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियोजन का प्रमाण–पत्र |
| 2. | कृषकों के संबंध में | – | राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र |
| 3. | आयकर का भुगतान करने वाले | – | आयकर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र |
| 4. | दुकानदारों के मामले में | – | विक्रय कर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र |
| 5. | उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य | – | संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र |